कार्यालय–नगर निगम, हरिद्वार।

पत्रांकः– 43(1)/निविदा/2025–26 दिनांकः– 11/04/2025

–अति अल्पकालीन निविदा सूचना–

नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्र के विभिन्न अति आवश्यक निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु पंजीकृत ठेकेदरों से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2018 में इंगित प्राविधानों के अनुसार सीलबंद निविदाए दिनांक 17.04.2025 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण, अन्य सम्पूर्ण शर्तें एवं निविदा की जानकारी नगर निगम निर्माण अनुभाग अथवा निगम वेबसाईट nagarnigamharidwar.org से प्राप्त की जा सकती है। निविदा विक्रय दिनांक 15.04.2025 से 16.04.2025 तक कार्यालय समय से निर्माण अनुभाग से किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
नगर निगम, हरिद्वार।

दिनाँक 17/04/2025 को पडने वाली निविदा का विवरण।

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनु0 लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि	निविदा की वैधता	निविदा का मूल्य+18 अतिरिक्त	कार्य पूर्ण करने का समय	ठेकेदार की श्रेणी
1.	जी0डी0 पुरम में नाले की दीवार की मरमत का कार्य।	5,50,000.00	16500.00	30 दिन	1000.00	1 माह	ए से बी0
2.	वार्ड नं0–42 बाल्मीकि बस्ती मे मौ0 बाल्मीकि बस्ती, हरिजन बस्ती व सोनिया बस्ती की आंतरिक गलीयो मे पुलिया, पैच व नाली का मरम्म्त/निर्माण कार्य।	5,00,000.00	15000.00	30 दिन	500.00	1 माह	ए से सी0
3.	खन्ना नगर में नालियों की मरम्मत व नाले के ऊपर स्लैब व पैच मरम्मत का कार्य।	5,10,000.00	15300.00	30 दिन	1000.00	1 माह	ए से बी0
4.	अग्रवाल जी के मकान से अमरजीत के मकान तक नाली पर स्लैब व जाल लगाने का कार्य व विभिन्न स्थानो पर पैच व नाली मरमत का कार्य।	4,90,000.00	14700.00	30 दिन	500.00	1 माह	ए से सी0
5.	वार्ड नं0–30 घासमण्डी मे हरिओम अनेजा के घर पास नाली पुर्ननिर्माण व नाली स्लैब/जाल डालने का कार्य एवं चौक बाजार मे छावनी के पास पैच मरम्मत का कार्य।	2,90,000.00	8700.00	30 दिन	500.00	1 माह	ए से सी0
6.	रतनठेकेदार के मकान से संदीप के मकान तक व रामदयाल जी के मकान के सामने वाली सड़क व नाली पुलिया का निर्माण कार्य।	5 14,000.00	15500.00	30 दिन	1000.00	1 माह	ए से बी0

7.	वार्ड नं0–39 लोधामंडी मे वर्मा ट्रडर्स के पास व नासिर मसूरी की दुकान के पास पुलिया पुर्ननिर्माण व फुरकान के मकान से आशु के मकान तक, खान एसोसिएट्स से सुरेश अरोडा के मकान तक व सौकत अली गौड के मकान से रियासत के मकान की ओर सी0सी0 द्वारा सडक का निर्माण कार्य।	5,10,155.00	15400.00	30 दिन	1000.00	1 माह	ए से बी0
8.	भल्ला ईण्टर कॉलेज में पुरुष शौचालय का निर्माण कार्य।	3,98,474.00	12000.00	30 दिन	500.00	1 माह	ए से सी0
9.	ऋषिकुल ग्राउण्ड में चार धाम यात्रा के मध्यनजर अस्थाई शौचालय का निर्माण	6,50,000.00	19500.00	30 दिन	1000.00	07 दिन	ए0 से बी0
10.	बैरागी कैम्प में चार धाम यात्रा के मध्यनजर अस्थाई शौचालय का निर्माण।	9,00,000.00	27000.00	30 दिन	1000.00	07 दिन	ए0 से बी0
11.	चमगादड़ टापू में चार धाम यात्रा के मध्यनजर अस्थाई शौचालय का निर्माण।	9,00,000.00	27000.00	30 दिन	1000.00	07 दिन	ए0 से बी0

–:निविदा की शर्तेः–

1. उक्त कार्य हेतु धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र / डाकघर की सावधि पासबुक / बैंक की एफ0डी0आर0 जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम, हरिद्वार के नाम बन्धक हो, ही मान्य होगी।
2. समस्त अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति में निहित है।
3. उक्त की निविदा में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने के पात्र होंगे।
4. सशर्त / अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भवा प्रतीत हो, को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा प्रपत्र नगर निगम में दिनांक 11.04..2025 से दिनांक 16.03..2025 से साय 5:00 बजे तक नगर निगम के निर्माण विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
6. निविदा में दरें कम / जादा (Above/ down) ही मान्य होगी, जो शब्दों व अंको में स्पष्ट अंकित होनी चाहिए एवं उक्त मदवार दरें जी0एस0टी0 एवं अन्य सभी करों सहित होनी चाहिए।
7. कार्यो से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिनांक 11.04..2025 से दिनांक 16.03..2025 से साय 5:00 बजे तक नगर निगम के निर्माण विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
8. निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है वह निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का पूर्ण निरीक्षण कर समस्त जानकारी एकत्र कर सकते है।
9. निविदादाता को निविदा प्रपत्रों की लागत व जी0एस0टी0 मूल्य की रसीद नगर निगम में नगद भुगतान पर प्राप्त की जा सकती हैं।
10. निविदा की दरें स्वीकृत प्राकलन की दरों से 5 प्रतिशत से अधिक कम होने पर शासनादेश संख्या–770 / III(2)17-20 (सा0) / 2011 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार अतिरिक्त परफॉरमेन्स सिक्योरिटी जमा करनी होगा।
11. पी0डब्लू0डी0 में प्रचलित शासनादेशों संख्या–120 / III(2)2014/20(सामान्य) / 2011 दिनांक 08 जनवरी 2014 के द्वारा जारी जी0पी0डब्लू–9 की शर्ते जैसे डिफैक्ट लाईबिलिटी माइल स्टोन आदि अन्य प्रविधान लागू होगें।

Scanned with OKEN Scanner

12. समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आयकर/जी0एस0टी0/रायल्टी/सैस एवं अन्य कटौतियों नियमानुसार ठेकेदार के बीजक से की जायेगी।
13. यदि शासन द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते है या उक्त कार्य को स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य को रोकना पडेगा तथा ठेकेदार किये गये कार्य के लिए ही भुगतान का दावेदार होगा तथा अवशेष कार्य हेतु ठेकेदार का दावा मान्य नही होगा।
14. निविदा स्वीकृत होने की दशा में ठेकेदार को तत्काल अनुबन्ध गठित करना होगा। ठेकेदार द्वारा अकारण विलम्ब करने की स्थिति में विभाग द्वारा जमानत राशि जब्त भी की जा सकती है।
15. अस्थायी शौचालय के कार्य यात्रा को देखते हुए किये जा रहे है जो कि तत्काल प्रारभी कर नियत अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य है।
16. कार्य का अनुबन्ध गठित हो जाने के पश्चात् ठेकेदार/फर्म को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विभागीय मानक, विशिष्टियों के अनुसार एवं अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता या वर्क ईन्चार्ज के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
17. कार्य हेतु धनराशि किश्तों में प्राप्त होने की दशा में कार्य हेतु प्राप्त धनराशि के उपभोग होने एवं अवशेष किश्त में बिलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य ससमय पूर्ण करना होगा।
18. उक्त कार्य के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा फर्म से एम0ओ0यू0 किया जायेगा जिसमें कार्यो को पूर्ण करने हेतु अवधि निर्धारित की जायेगी। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर अर्थदण्ड का प्राविधान है। अतः अनुबन्धकर्ता ठेकेदार/फर्म द्वारा यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं किया जाता है तो निर्धारित अर्थदण्ड की वसूली ठेकेदार से की जायेगी।
19. यदि कोई ठेकेदार/फर्म कार्यादेश प्राप्त होने पर कार्यादेश में दिये गए निर्धारित समय में उचित प्रगति के साथ विभागीय निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य आरम्भ करके बीच में छोड़ देता है अथवा कार्य को सन्तोषजनक रूप से स्पेसिफिकेशन एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण नहीं करता है, तब ठेकेदार के कार्य की जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका अनुबन्ध एवं निविदा निरस्त किया जायेगा तथा कार्य विभागीय निर्णयानुसार किसी दूसरी एजेन्सी से कराया जायेगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदार को दो वित्तीय वर्ष की अवधि तक कार्य लेने से वंचित किया जा सकता है अथवा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
20. यदि निर्धारित तिथि पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है तो इसकी सूचना निर्माण विभाग से प्राप्त की जा सकती है अथवा नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेगी। इस हेतु नगर निगम के सूचना पट पर सूचना चस्पा की जायेगी।
21. कार्य पर विवाद की स्थिति में विवाद क्षेत्र जनपद हरिद्वार होगा।
22. समस्त अथवा किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार में निहित होगा।
23. सशर्त निविदा किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
24. निविदादाता को निम्नलिखित शर्त A से E पूर्ण करनी आवश्यक है।

<u>**ठेकेदार/फर्म के द्वारा निम्न शर्त पूर्ण करनी आवश्यक हैः–**</u>

1–धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/डाकघर की सावधि पासबुक/बैंक की एफ0डी0आर0 जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार के नाम बन्धक हो, ही मान्य होगी।
2–निविदा प्रपत्र की लागत एवं जी0एस0टी0 मूल्य की रसीद संलग्न करनी आवश्यक है।
3–निविदा में दी गई दरों की वैधता हेतु 100.00 रूपये रु0 के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर।
4–नगर निगम पजीकरण की प्रति।
5–जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन/निर्धारित पैन कार्ड की प्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
नगर निगम, हरिद्वार।

Scanned with OKEN Scanner